न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3481–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–9–2014 एवं 30–9–2014 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, हंडिया, जिला हरदा प्रकरण कमांक 2/अ–70/2008–09.

1– श्रीमती रचना पत्नी जगदीश जाट
निवासी ग्राम अजनई
तहसील हंडिया, जिला हरदा .....आवेदिका

विरूद्ध

विमल कुमार आत्मज रामदीन जाट
निवासी ग्राम आदमपुर
तहसील हंडिया, जिला हरदा .....अनावेदक

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदिका
श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 15 जनवरी, 2015)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, हंडिया जिला हरदा द्वारा पारित आदेश 10–9–2014 एवं 30–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक विमल कुमार द्वारा नायब तहसीलदार, हंडिया जिला हरदा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह ग्राम आदमपुर स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 107/9 रकबा 7.799 हेक्टेयर का

अभिलखित भूमिस्वामी है, उसकी भूमि के पूर्व दिशा में सर्वे क्रमांक 107/11 आवेदिका श्रीमती रचनाबाई की भूमि है । अनावेदक द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने पर राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार अनावेदक की 4.25 एकड़ भूमि पर आवेदिका द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ–70/2008–09 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । आवेदिका को साक्ष्य प्रस्तुत करने के अनेक अवसर दिये जाने के उपरांत भी उसके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने से नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 10–9–2014 को आदेश पारित कर आवेदिका का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया एवं प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया जाकर पेशी दिनांक 22–9–2014 नियत की गई । दिनांक 22–9–2014 की पेशी पर उभय पक्ष को लिखित तर्क प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिये जाकर प्रकरण दिनांक 30–9–2014 को नियत किया गया । दिनांक 30–9–2014 की पेशी पर अनावेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए, परन्तु आवेदिका के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं करते हुए संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे नायब तहसीलदार द्वारा निरस्त कर प्रकरण आवेदिका के अन्य आवेदन पत्र पर जवाब हेतु नियत किया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका को साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है, अतः उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिलाया जाये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रकरण प्रचलित है, और तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका को साक्ष्य प्रस्तुत करने के अनेक अवसर दिये गये है, परन्तु वह स्वयं की गवाही प्रस्तुत नहीं कर रही है, और अनेक अवसर दिये जाने के उपरांत भी दिनांक 2–9–2014 को आवेदिका के अभिभाषक द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया था, तब तहसील न्यायालय द्वारा 200/– रूपये के खर्चे पर अन्तिम अवसर दिया जाकर साक्ष्य हेतु पेशी दिनांक 10–9–2014 नियत की गई थी । उक्त दिनांक को भी आवेदिका द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से आवेदिका का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया

गया, और प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया, इसके बावजूद भी आवेदिका के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत नहीं कर संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र प्रकरण स्थगित करने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः नायब तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के समक्ष प्रकरण दिनांक 21–8–2009 को दर्ज हुआ है, और दिनांक 23–7–2014 तक लगभग 5 वर्षों में आवेदिका को अनेक अवसर दिये जाने के उपरांत भी उसके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है । दिनांक 23–7–2014 को आवेदिका की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण उसे साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर दिया गया, और पेशी दिनांक 8–8–2014 नियत की गई । इस दिनांक को भी आवेदिका की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और पेशी दिनों 22–8–2014 तियत की गई । दिनांक 22–8–2014 की पेशी पर भी आवेदिका अनुपस्थित रही, अतः पेशी दिनांक 2–9–2014 नियत की गई । दिनांक 2–9–2014 की पेशी पर आवेदिका की ओर से अभिभाषक श्री मिश्रा उपस्थित होने पर 200/– रूपये के खर्चे पर साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पेशी दिनांक 10–9–2014 नियत की गई । दिनांक 10–9–2014 की पेशी पर भी आवेदिका की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया एवं प्रकरण में अंतिम तर्क हेतु दिनांक 22–9–2014 नियत की गई । दिनांक 22–9–2014 को उभय पक्ष के अभिभाषकों को लिखित तर्क प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिये जाकर प्रकरण में दिनांक 30–9–2014 की तिथि नियत की गई । उक्त दिनांक को अनावेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए परन्तु आवेदिका द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं कर तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित करने हेतु संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा आवेदिका को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी उसके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई । अतः नायब तहसीलदार द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुए कि आवेदिका को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर दिये जाने पर भी उसके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, और प्रकरण वर्ष 2009 से लंबित है, इसलिए अब

साक्ष्य हेतु समय दिया जाना संभव नहीं है, आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जो कि अपने स्थान पर वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही है । इस प्रकार नायब तहसीलदार का आदेश हस्क्षेप योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, हंडिया जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–9–2014 एवं 30–9–2014 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर